



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
(उप्रो सरकार का उपकरण)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 2869-पारेंजु-16 / पाट्राकालि-2019-134 / 2013

दिनांक: २४ दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2, उप्रो शासन के पत्र संख्या- 25(1)/44-2-2014, दिनांक 10.02.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 की धारा-4 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee) का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	तैनाती स्थल	नामित
1.	इ० (श्रीमती) संगीता सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता, सचिव निदेशक (आपरेशन), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ज्योति नन्दिनी	अधिशासी अभियन्ता (सी०एम०य०टी०)	सदस्य
3.	श्रीमती अंजू सिंह	कार्यालय सहायक-द्वितीय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण), उप्रो पाठ्राठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।	सदस्य

उपरोक्त समिति के कार्यक्षेत्र में उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के अन्तर्गत समस्त कार्यालय होंगे। समिति का यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न प्रतिषेध के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करें।

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या : 2869-पारेंजु-16 / पाट्राकालि-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उप्रो शासन, लखनऊ
2. सचिव, उप्रो राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उप्रो शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उप्रो शासन, लखनऊ।
5. अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उप्रो शासन, लखनऊ
6. अध्यक्ष, उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. प्रबन्ध निदेशक, उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8. समस्त निदेशकगण, उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप्रो पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उप्रोपाठ्राठकालि०, को इस अध्युक्ति सहित प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के सम्बन्ध में शिकायत समिति का गठन उप्रो शासन के आदेश सं०-६७९/६०-३-२००१-३(42)/९७ दिनांक 20.03.2001 में निहित प्राविधानानुसार करें।
12. कम्पनी सचिव, उप्रोपाठ्राठकालि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- ✓ 13. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. इं० (श्रीमती) संगीता, अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. श्रीमती ज्योति नन्दनी, अधिशासी अभियन्ता (सी०ए०य०टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. श्रीमती अन्जु सिंह, कार्यालय सहायक-द्वितीय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

HChandra
२४।८।५७
(हरिश्चन्द्र दमा)
उप सचिव (पारेशण)